



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-782

New Delhi: 29.10.2020

श्री राजबहादुर सिंह
पुत्र रामेश्वर सिंह
नि० कला का पुरवा पो० भीमसेन
कानपुर नगर-209305
मोबाइल-7376544692

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 12.10.2020 जो इस कार्यालय में दिनांक 19.10.2020 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त जानकारी संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिबबर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001


28.10.2020

(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

011-23454707

संलग्न: 01 पृष्ठ.

No.: ALD (W)EN/RTI/49 -(Vol-IV) /502

Date: 27.10.2020

एस. के. रॉय
डी.जी.एम/एडमिन (पी.आई.ओ.)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
नई दिल्ली।

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री राज बहादुर सिंह द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में।


संदर्भ: प्रधान कार्यालय पत्रांक 2020/HQ/ADMIN/RTI-782 दिनांक 19.10.2020।

महोदय,

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री राजबहादुर सिंह पुत्र श्री रामेश्वर सिंह द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक/इंजी० कानपुर को आवेदन प्रतिप्रेषित किया गया था, अतः आवेदककर्ता को वांछित सूचना, परियोजना प्रबंधक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

उपरोक्त सन्दर्भित प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रार्थी की सिंचाई हेतु बोरिंग की समस्या के निस्तारण हेतु ग्रीवान्स रिड्रेसल कमेटी की बैठक दिनांक 18.09.2020 को अपर जिलाधिकारी/वित्त/राजस्व कानपुर नगर कक्ष कलेक्ट्रेट कार्यालय में आहुत की गयी थी, जिसमें माननीय अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी/वित्त/राजस्व कानपुर नगर महोदय द्वारा स्थल जाँच आख्या आने के उपरान्त पुनः बैठक भूस्वामी की उपस्थिति में सुनिश्चित करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु आदेशित किया गया।

संलग्नक: यथोक्त।


(अजीत कुमार सिंह)
उप परि० प्र०/ए.पी.आई.ओ.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
इलाहाबाद (पश्चिम)